संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Durg- C.G.

OFFICE :
Collectorate Campus, Durg
Durg - 491 001
Tel - 0788 - 2323716
Fax - 0788 - 2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

9377 / भू–उपयोग / प्र.क्र. 2001 / न.ग्रा.नि दुर्ग   दिनांक 23/7/15

अवेदक श्री / श्रीमती आई.पी. मिश्रा आ० स्व० एस.पी. मिश्रा
ग्राम जुनवानी तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग–भिलाई विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत् ।
आपका आवेदन दिनांक 13/7/15

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत खसरों का भू उपयोग शासन अनुमोदित दुर्ग / भिलाई योजना अनुसार व्यापक तौर पर निम्नानुसार है–

ग्राम का नाम / प.ह.न.	खसरा क्रमांक	भूमि उपयोग
जुनवानी	97	[आवासीय]

टीपः–उपरोक्त जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर दी गई है।
विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग क्रियान्वयन विकास योजना के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा इसके कुछ भाग का उपयोग अन्य श्रेणी में भी आ सकता है।
विकास योजना के अनुरूप भू–उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा / विकास अनुमति दिया जाना नहीं है। जिसके लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम् 1973 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम् 1998, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन एवं अन्य संबंधित अधिनियम् / नियम एवं उप नियमों के अन्तर्गत अलग से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम् 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत इसे किसी प्रकार की अनुमति न समझा जावें।
इसे सम्पत्ति अभिलेख न समझा जावें।
यदि उपरोक्त खसरे का अभिन्यास अनुमोदित हो तो भूमि उपयोग स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मान्य होगा।

मूल प्रति

XEROX TRUE COPY

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) GOVT OF INDIA

RISHIKANT TIWARI ADVOCATE / NOTARY DURG (C.G.)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)

12 FEB 2025

C:\Jd\land use/format

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Durg- C.G.

कार्यालय
कलेक्टोरेट परिसर दुर्ग
दुर्ग – 491 001
दूरभाष – 0788–2323716
फैक्स – 0788–2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

OFFICE :
Collectorate Campus, Durg
Durg – 491 001
Tel. – 0788 - 2323716
Fax : – 0788 - 2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

क्रमांक / 9037 / भू–उपयोग / प्र.क्र. 2003 / न.ग्रा.नि दुर्ग दिनांक 20/7/15

प्रति,

अवेदक श्री / श्रीमती गायत्री एजुकेशन सोसायटी अध्यक्ष आई पी. मिश्रा
ग्राम जुनवानी तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– दुर्ग–भिलाई विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत् ।

संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 13/7/15

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत खसरों का भू उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित दुर्ग / भिलाई योजना अनुसार व्यापक तौर पर निम्नानुसार है–

1. ग्राम का नाम / प.ह.न.	खसरा क्रमांक	भूमि उपयोग
जुनवानी	103	[आवासीय]

1. टीपः–उपरोक्त जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर दी गई है।
2. विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग क्रियान्वयन विकास योजना के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा इसके कुछ भाग का उपयोग अन्य श्रेणी में भी आ सकता है।
3. विकास योजना के अनुरूप भू–उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा / विकास अनुमति दिया जाना नहीं है। जिसके लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम् 1973 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन एवं शर्तें) नियम् 1998, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन एवं अन्य संबंधित अधिनियम् / नियम् एवं उप नियमों के अन्तर्गत अलग से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
4. उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
5. छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम् 1973 की धारा 30 के अन्तर्गतं इसे किसी प्रकार की अनुमति न समझा जावें।
6. इसे सम्पत्ति अभिलेख न समझा जावें।
7. यदि उपरोक्त खसरे का अभिन्यास अनुमोदित हो तो भूमि उपयोग स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मान्य होगा।

XEROX TRUE COPY

प्र0 संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG Regd.No. Exp.Dt. GOVT OF INDIA

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)

12 FEB 2025

35/TCP-14/v.d./land use/forma

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Durg- C.G.

कार्यालय
कलेक्टोरेट परिसर, दुर्ग
दुर्ग – 491 001
दूरभाष – 0788–2323716
फैक्स – 0788–2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

OFFICE :
Collectorate Campus, Durg
Durg - 491 001
Tel - 0788 - 2323716
Fax - 0788 - 2323716
Email cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

क्रमांक / 9038 / भू–उपयोग / प्र.क्र. 2002 / न.ग्रा.नि दुर्ग दिनांक 20/7/15

प्रति,

अवेदक श्री / श्रीमती महाशिवली एजुकेशन सोसायटी अध्यक्ष आई.पी. मिश्रा
ग्राम पुरवानी तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– दुर्ग–भिलाई विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत् ।

संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 13/7/15

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत खसरों का भू उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित दुर्ग / भिलाई योजना अनुसार व्यापक तौर पर निम्नानुसार है–

1. ग्राम का नाम / प.ह.न.	खसरा क्रमांक	भूमि उपयोग
पुरवानी	109	[आवासीय]

1. टीपः–उपरोक्त जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर दी गई है।
2. विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग क्रियान्वयन विकास योजना के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा इसके कुछ भाग का उपयोग अन्य श्रेणी में भी आ सकता है।
3. विकास योजना के अनुरूप भू–उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा / विकास अनुमति दिया जाना नहीं है। जिसके लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम् 1973 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन एवं शर्तें) नियम् 1998, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन एवं अन्य संबंधित अधिनियम् / नियम् एवं उप नियमों के अन्तर्गत अलग से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
4. उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
5. छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम् 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत इसे किसी प्रकार की अनुमति न समझा जावें।
6. इसे सम्पत्ति अभिलेख न समझा जावें।
7. यदि उपरोक्त खसरे का अभिन्यास अनुमोदित हो तो भूमि उपयोग स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मान्य होगा।

मूल प्रति

XEROX TRUE COPY

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG GOVT OF INDIA

प्र0 संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)

12 FEB 2025

35/TCP-14/v.d./land use/forma

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Durg- C.G.

कार्यालय
कलेक्टोरेट परिसर, दुर्ग
दुर्ग – 491 001
दूरभाष – 0788–2323716
फैक्स – 0788–2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

OFFICE :
Collectorate Campus, Durg
Durg – 491 001
Tel – 0788 - 2323716
Fax – 0788 - 2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

क्रमांक / 9039 / भू–उपयोग / प्र.क्र. 2004 / न.ग्रा.नि दुर्ग   दिनांक 20/7/15

प्रति,

अवेदक श्री / श्रीमती मांगलम इंफ्राटेक्शन सोसायटी अध्यक्ष आई. पी. मिश्रा
ग्राम खुनवानी तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.).

विषयः– दुर्ग–भिलाई विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत् ।

संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 13/7/15

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत खसरों का भू उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित दुर्ग / भिलाई योजना अनुसार व्यापक तौर पर निम्नानुसार है–

1. ग्राम का नाम / प.ह.न.	खसरा क्रमांक	भूमि उपयोग
खुनवानी	86	[आवासीय]
	98	[आवासीय]

1. टीपः–उपरोक्त जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर दी गई है।
2. विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग क्रियान्वयन विकास योजना के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा इसके कुछ भाग का उपयोग अन्य श्रेणी में भी आ सकता है।
3. विकास योजना के अनुरूप भू–उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा / विकास अनुमति दिया जाना नहीं है। जिसके लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम् 1973 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वधन एवं शर्तें) नियम् 1998, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन एवं अन्य संबंधित अधिनियम् / नियम् एवं उप नियमों के अन्तर्गत अलग से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
4. उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
5. छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम् 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत इसे किसी प्रकार की अनुमति न समझा जावें।
6. इसे सम्पत्ति अभिलेख न समझा जावें।
7. यदि उपरोक्त खसरे का अभिन्यास अनुमोदित हो तो भूमि उपयोग स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मान्य होगा।

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) Regd.No. Exp.Dt GOVT OF INDIA
XEROX TRUE COPY
RISHIKANT TIWARI ADVOCATE / NOTARY DURG (C.G)
12 FEB 2025

प्र0 संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.
Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Durg- C.G.

कार्यालय
कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे, महावीर नगर,
बालक भगवान पथ, दुर्ग 491001
दूरभाष – 0788–2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com

OFFICE :
Back of Collectorate Campus, Mahavir nagar,
Balak bhagwan path, Durg 491 001
Tel. – 0788 - 2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com

क्रमांक / 20384 / भू–उपयोग / प्र.क्र. 1448 / नग्रानि **दुर्ग, दिनांक 21.02.2025**

प्रति,

आवेदक श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी,
अध्यक्ष–आई. पी. मिश्रा आत्मज श्री एस. पी. मिश्रा
ग्राम–करहीडीह, तहसील–दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– दुर्ग भिलाई, विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 07 फरवरी 2025, उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत खसरों का भू उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित दुर्ग/भिलाई योजना अनुसार व्यापक तौर पर निम्नानुसार है–

ग्राम का नाम / प.ह.न.	खसरा क्रमांक	भूमि उपयोग
करहीडीह	108 एवं 112	आवासीय

1. टीपः– उपरोक्त जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर दी गई है।
2. विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरुप के है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग क्रियान्वन विकास योजना के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा इसके कुछ भाग का उपयोग अन्य श्रेणी में भी आ सकता है।
3. विकास योजना के अनुरूप भू–उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा/विकास अनुमति दिया जाना नही है। जिसके लिए छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम 1998, छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन एवं अन्य संबंधित अधिनियम/नियम एवं उप नियमों के अन्तर्गत अलग से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
5. छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत इसे किसी प्रकार की अनुमति न समझा जावें।
6. इसे सम्पत्ति अभिलेख न समझा जावें।
7. यदि उपरोक्त खसरे का अभिन्यास अनुमोदित हो तो भूमि उपयोग स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मान्य होगा।
8. दुर्ग–भिलाई विकास योजना पुनर्विलोकन प्रारुप 2031 का प्रकाशन छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18(1) के तहत् विकास योजना प्रारुप का प्रकाशन किया जा चुका है परंतु वर्तमान में योजना अनुमोदित नही होने के कारण पूर्व विकास योजना 2001 की जानकारी दी जा रही है।

21/02/2025

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग (छ.ग.)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग
जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ शासन 10/12/02

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग,

मंत्रालय, डी0के0एस0भवन, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 10 /12 /2002

क्रमांक 1793 /2017/पर्या.न.प्र./2002- राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 उपधारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न विकास योजनाओं में निर्धारित स्वीकार्य उपयोग के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा जारी करने हेतु अनुसूची-1 में दर्शाये अनुसार, मार्गदर्शी सिद्धांत एतद्द्वारा निर्धारित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विवेक ढाँड)

सचिव

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

अनुसूची-1

क्र.	भूमि-उपयोग	स्वीकार्य उपयोग
1.	2.	3.
1.	आवासीय	• व्यवसायिक कार्यालय व घरेलू व्यवसायिक/औद्योगिक इकाईयां:- 12 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर व्यवसायिक कार्यालय स्वीकार्य होंगे परन्तु पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में करनी होगी । घरेलू व्यवसायिक/औद्योगिक इकाईयां भूमि विकास नियम, 1984 के परिशिष्ट-1 के भाग 1 के अनुसार स्वीकार्य होगी । • नर्सिंग होम:- 12 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर 16,000 की जनसंख्या पर एक के मान से स्वीकार्य होगा, जिसमें पार्किंग व्यवस्था स्वयं के परिसर में करनी होगी । न्यूनतम् क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर

NOTARY
RISHIKANT TIWARI
GOVT OF INDIA

XEROX TRUE COPY

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G)

12 FEB 2025

- महाविद्यालय/शोध केन्द्रः- 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्वीकार्य होगा । पार्किंग व्यवस्था स्वयं के परिसर में करनी होगी ।
- स्थानीय दुकानेंः- जनसंख्या के आधार पर 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो उक्त क्षेत्र विशेष में, उपलब्ध वाणिज्यिक दुकानों का आंकलन करते हुए 4000 जनसंख्या पर अधिकतम् छोटी-छोटी 12 वर्गमीटर आकार की अधिकतम् 10 दुकानें स्वीकार्य होंगी ।
- पेट्रोल पंपः- प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में केवल प्रमुख मार्गो पर 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर, जिसके आसपास लगभग 100 मीटर तक कोई आबादी न हो ।
- हल्के वाहनों के रिपेयर से संबंधित दुकानेंः- 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गो पर मात्र दो पहिया एवं चार पहिया हल्के वाहन (कार, जीप तक) मरम्मत की दुकानें, जिनमें सर्विस स्टेशन या शोरूम आदि स्वीकार्य नहीं होंगे । वाहनों की पार्किंग स्वयं के परिसर में करना होगा ।
- आटा चक्कीः- भूमि विकास नियम 38 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के भाग 1 एवं 2 के तहत आटा चक्की दिये जाने का प्रावधान है, उसके अंतर्गत् स्वीकार्य होगा ।
- ओपन एयर थियेटरः- 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर, पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में मार्ग की चौड़ाई को छोड़कर स्वीकार्य होगा ।
- संग्रहालय-प्रदर्शनी केन्द्र-आर्ट गैलरीः- 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गो पर ही स्वीकार्य होगा । क्षेत्रफल का विवरण पारिक्षेत्रिक नियमन के अनुसार होगा ।

—3—

XEROX TRUE COPY

वाणिज्यिक (अ)सामान्य वाणिज्यिक

- धर्मशाला, बारात घर, सामुदायिक हाल, सांस्कृतिक प्रचार, प्रदर्शनी, कला केन्द्र, लायब्रेरी, प्रयोगशाला:- 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्वीकार्य होंगे ।
- **मोटर गैरेज एवं वर्कशाप:-** 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर जिसमें भू-खण्ड का न्यूनतम् आकार 5000 वर्ग फुट से कम नहीं होगा, स्वीकार्य होंगे ।
- आवासीय फ्लैट्स:- वाणिज्यिक उपयोग से संबंध आवासीय उपयोग, वाणिज्यिक परिसर में ऊपरी तलों पर आवासीय फ्लैट स्वीकार्य किया जा सकता है ।
- पेट्रोल पंप:- आवासीय में लिये गये मापदण्डों के अनुसार ।

3. विशेषीकृत वाणिज्यिक

- शीतगृह:- मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर न्यूनतम्
- सेवा उद्योग:- छ.ग.भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 38 के अंतर्गत् जो उद्योग वर्णित है, उन्हीं को स्वीकार्य किया जाये, मार्ग की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर हो ।
- प्रेस काम्पलेक्स:- मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम् 18 मीटर हो
- वर्कशाप:- मार्ग की न्यूनतम् चौड़ाई 18 मीटर हो ।

4. औद्योगिक (अ)सेवा उद्योग

- पेट्रोल पंप:- छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में दिये गये उपबंधों एवं पारिक्षेत्रिक नियमन के अनुसार 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े क्षेत्रीय मार्गों पर ही स्वीकार्य होंगे ।
- परिवहन संस्थायें:- औद्योगिक इकाईयों के आधार पर परिवहन एजेंसी का आंकलन करने के पश्चात् 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर दिया जाये । ट्रॉसपोर्ट एजेन्सी के ट्रक पार्किंग हेतु सामने अनिवार्य रूप से 9 मीटर गहराई में खुला क्षेत्र छोड़ना आवश्यक है ।
- शोरूम:- औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद से संबंधित शोरूम न्यूनतम् 18 मीटर चौड़े मार्गों पर ।
- दुकानें:- अनौपचारिक सेंटर के लिए 10 दुकानें प्रति हजार श्रमिक की दर से, 12 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर ही स्वीकार्य होंगी ।

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) GOVT OF INDIA

XEROX TRUE COPY

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)

12 FEB 2025

	वाणिज्यिक (अ)सामान्य वाणिज्यिक	• धर्मशाला, बारात घर, सामुदायिक हाल, सांस्कृतिक प्रचार, प्रदर्शनी, कला केन्द्र, लायब्रेरी, प्रयोगशाला:- 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्वीकार्य होंगे । • मोटर गैरेज एवं वर्कशाप:- 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर जिसमें भू-खण्ड का न्यूनतम् आकार 5000 वर्ग फूट से कम नहीं होगा, स्वीकार्य होंगे । • आवासीय फ्लैट्स:- वाणिज्यिक उपयोग से संबंध आवासीय उपयोग, वाणिज्यिक परिसर में ऊपरी तलों पर आवासीय फ्लैट स्वीकार्य किया जा सकता है । • पेट्रोल पंप:- आवासीय में लिये गये मापदण्डों के अनुसार ।
3.	विशेषीकृत वाणिज्यिक	• शीतगृह:- मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर न्यूनतम् • सेवा उद्योग:- छ.ग.भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 38 के अंतर्गत् जो उद्योग वर्णित है, उन्हीं को स्वीकार्य किया जाये, मार्ग की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर हो । • प्रेस काम्पलेक्स:- मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम् 18 मीटर हो • वर्कशाप:- मार्ग की न्यूनतम् चौड़ाई 18 मीटर हो ।
4.	औद्योगिक (अ)सेवा उद्योग	• पेट्रोल पंप:- छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में दिये गये उपबंधों एवं पारिक्षेत्रिक नियमन के अनुसार 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े क्षेत्रीय मार्गों पर ही स्वीकार्य होंगे । • परिवहन संस्थायें:- औद्योगिक इकाईयों के आधार पर परिवहन एजेंसी का आंकलन करने के पश्चात् 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर दिया जाये । ट्रॉसपोर्ट एजेन्सी के ट्रक पार्किंग हेतु सामने अनिवार्य रूप से 9 मीटर गहराई में खुला क्षेत्र छोड़ना आवश्यक है । • शोरूम:- औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद से संबंधित शोरूम न्यूनतम् 18 मीटर चौड़े मार्गों पर । - दुकानें:- अनौपचारिक सेंटर के लिए 10 दुकानें प्रति हजार श्रमिक की दर से, 12 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर ही स्वीकार्य होंगी ।

XEROX TRUE COPY

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) Regd.No. Exp.Dt. GOVT OF INDIA

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)

12 FEB 2025

जावे ।

- **रैस्टोरेंटः-** उसी सार्वजनिक उपयोग के परिसर के अंदर ही अनुमति योग्य है । पृथक से रेस्टोरेंट का उपयोग [illegible] स्वीकार्य नहीं होगा ।

6. आमोद–प्रमोद

- **अग्नि शमन केन्द्रः-** 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित करने पर स्वीकार्य होगा ।
- **नर्सरीः-** रीजनल पार्क में कम से कम एक एकड़ के क्षेत्रफल में स्वीकार्य होगा ।
- **पेट्रोल पंपः-** 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गो पर, क्षेत्रीय उद्यान के अंतर्गत् पारिक्षेत्रीक नियमन के अनुसार स्वीकार्य होगा ।
- **उपहार गृहः-** आमोद–प्रमोद के अंतर्गत् उद्यानों जिनका क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ हो, पर प्रत्येक उद्यान में एक उपहार गृह । पृथक से कोई उपहार गृहँ स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे, अधिकतम् निर्मित क्षेत्र 100 वर्गमीटर होगा ।
- **भोजनालयः-** आमोद–प्रमोद के उद्यानों जिनका क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ हो, पर प्रत्येक उद्यान में एक भोजनालय । पृथक से कोई भोजनालय स्वीकार्य नहीं होगें
- **मोटलः-** आमोद–प्रमोद क्षेत्र के अंतर्गत् क्षेत्रीय उद्यान जो कम से कम 10 एकड़ क्षेत्र में हो तथा 30 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्गो जिसमें न्यूनतम् भू–खंड का आकार एक एकड़ से कम न हो, भूतल पर अधिकतम् निर्मित क्षेत्र 300 वर्ग मीटर एवं मुख्य मोटल भवन की ऊँचाई 6.5 मीटर से अधिक न हो तथा पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में करनी होगी के साथ स्वीकार्य होगा ।

7. यातायात एवं परिवहन

- **अग्रेषण कार्यालयः-** केवल ट्रक स्थानक, ट्रक टर्मिनल सेंटर, ट्रॉसपोर्ट नगर में ही स्वीकार्य होंगे ।
- **माल गोदाम शीतगृहः-** ट्रॉसपोर्ट नगर, मैकेनिक नगर के अभिन्यास में प्रस्तावित किये गये अनुसार ।
- **[illegible] एवं सर्विस स्टेशनः-** ट्रॉसपोर्ट नगर एवं बस

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) Regd.No. Exp.Dt. GOVT OF INDIA
XEROX TRUE COPY
RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)
12 FEB 2025

टर्मिनल में पेट्रोल पंप, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 एवं पारिक्षेत्रिक नियमन के मापदंडों के अनुसार स्वीकार्य होंगे ।

- मरम्मत की दुकानें एवं उपकरणों की दुकानें:- रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड में 5 से 10 छोटी दुकानें आवश्यकतानुसार स्वीकार्य होगी । दुकानों का आकार 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा । टैक्सी स्टैंड, ट्रक टर्मिनल एवं बस टर्मिनल, सेंटर पर केवल भूतल पर 2-3 दुकानें/दुकानों का आकार 7.5 वर्गमीटर से अधिक न हों ।
- उपहार गृह एवं भोजनालय:- रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड में उपहार गृह, भोजनालय, स्वीकार्य किया जावेगा । जो अभिन्यास का अंश होगा । बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल में आकार के आधार पर एक-एक उपहार गृह स्वीकार्य होंगा जो अभिन्यास का भाग होगा । ट्रॉसपोर्ट नगर में एक उपहार गृह स्वीकार्य होगा जो अभिन्यास का भाग होगा ।

टीप.:- उक्त स्वीकार्य उपयोग हवाई अड्डे के बाहर इस उपयोग में स्वीकार्य नहीं होगा ।

- मोटल:- कम से कम 30 मीटर चौड़े मार्गो जिसमें न्यूनतम् भू-खण्ड का आकार एक एकड़ से कम न हो, भूतल पर अधिकतम् निर्मित क्षेत्र 300 वर्ग मीटर एवं मुख्य मोटल भवन की ऊँचाई 6.5 मीटर से अधिक न हो । पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में करनी होगी के साथ स्वीकार्य होगा ।

8. कृषि

- पेट्रोल पंप:- राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं क्षेत्रीय मार्ग जिनकी चौड़ाई कम से कम 30 मीटर हो पर पेट्रोल पंप हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वीकार्य होगा ।
- कब्रिस्तान/श्मशान, मलशोधन केन्द्र स्वीकार किया जा सकता है ।
- ईट भट्टे:- नदी/नाले के तटीय क्षेत्र एवं आबादी से न्यूनतम् एक किलोमीटर की दूरी के पश्चात् जो कि आसपास के भौतिक स्वरूप को विकृत न करें, स्वीकार्य

होंगे ।

- कुम्हारी कार्यः– स्वीकार्य योग्य है ।
- पत्थर तोड़ने [illegible] के अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् परंतु इससे स्थल के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होगा, उसे समतल किये जाने की शर्त पर ।
- दुग्ध एवं कुक्कुट पालनः– मुख्य मार्गों से कम से कम 45 मीटर भीतर की ओर ही स्वीकार्य योग्य/मुख्य मार्ग पर स्थित भू-खण्डों में कम से कम 45 मीटर सेटबेक छोड़ना आवश्यक । भू-खण्ड का आकार एक एकड़ से कम न हो ।
- डीजल एवं विस्फोटक पदार्थों के संग्रहण केन्द्रः– 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर सम्मुख खुला क्षेत्र 45 मीटर से कम न हो । 500 मीटर की त्रिज्या में कोई आबादी न हो । निर्माण विस्फोटक पदार्थ के भंडारण के मानदंडों के अनुसार ।
- ग्रामीण आबादी के 300 मीटर तक सार्वजनिक सेवा सुविधायें:– पंजीकृत संस्था का विवरण केन्द्र सहकारी साख समिति का भवन, पशु उपचार केन्द्र, साप्ताहिक बाजार, जलप्रदाय केन्द्र, कृषि उपकरण बिकी/सुधार केन्द्र जो ग्रामीण आवश्यकता के अनुरूप हो, बीज संग्रहण एवं विक्रय केन्द्र । (प्रतिष्ठानो, दुकानों का अधिकतम् आकार 20 वर्गमीटर तक) पशु चिकित्सा केन्द्र, लघु स्वास्थ्य केन्द्र एवं शासन के विभिन्न लोकोपयोग योजनाओं से संबंधित कार्यालय एवं प्रतिष्ठान जैसे रेशम केन्द्र, आंगनबाड़ी, लोककला केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आदि । उक्त केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप स्वीकार्य होंगे । विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान-राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग से लगे हुए भू-खण्ड पर संचालक की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार्य होंगे ।
- माल गोदाम एवं गोदामः– कृषि कार्य से संबंधित कृषकों को बीज, खाद, अनाज भंडारण से संबंधित गोदाम स्वीकार्य होंगे । व्यवसायिक स्तर पर कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) Regd.No. Exp.Dt.17- GOVT OF INDIA

XEROX TRUE COPY

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG C.G.

12 FEB 2025

हों स्वीकार्य होंगे ।

एल.पी.जी. गोदाम:- 18 मीटर [illegible] गौण [illegible] पर सन्मुख [illegible] चाहिए । न्यूनतम् भू-खण्ड का आकार एक एकड़ होगा । विस्फोटक पदार्थ के भंडारण के मापदंडों के अनुसार एवं ग्रामीण आबादी से 100 मीटर दूरी होना चाहिए ।

- **मोटल:-** कम से कम 30 मीटर चौड़े मार्गो पर जो नगरीय विकसित क्षेत्र के बाहर की ओर दूसरे नगरों को जोड़ते है उन पर दिया जा सकता हैं । न्यूनतम् भू-खण्ड का आकार एक एकड़ से कम न हो, भूतल पर अधिकतम् निर्मित क्षेत्र 300 वर्ग मीटर एवं मुख्य मोटल भवन की ऊँचाई 6.5 मीटर से अधिक न हो । पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में करनी होगी ।

सचिव
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 10-12-2002

पृ.क्र. 1794 / 2017/18/2002

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. संचालक, नगरीय विकास विभाग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर ।
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम छत्तीसगढ़ ।
5. समस्त संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ।

(जे.एस.दीक्षित)
अवर सचिव
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

उपयोग के अन्तर्गत है, वह उसी उपयोगों के अन्तर्गत रहेगी । [illegible] भूमि को विकास योजना [illegible] निर्धारित उपयोग में केवल नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने पर ही परिवर्तन लाया जा सकेगा ।

9.2.2. स्वीकार्य उपयोग:- उपयोग जो सात प्रमुख उपयोग के अन्तर्गत स्वीकृत है । तथा जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर स्वीकृत है, वे निम्न सारणी में दर्शाये गये है:-

भिलाई: स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

।9- सारणी 5।

भूमि उपयोग परिक्षेत्र	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकार्य उपयोग
/1/	/2/	/3/
आवासीय	निवास गृह, होस्टल, सीमित घनत्व सहित शिशु सदन, बाल विहार, पाठशालायें मंदिर मस्जिद, गिरजाघर, अन्य धार्मिक स्थान, औषधालय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें मनोरंजन उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगी-तायें टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड ।	व्यावसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसाय आदि जो उसी भवन में स्थित है । नर्सिंग होम चिकित्सालय, औषधालय छुआ-छुत के रोगों के उपयोग से संबंधित को छोड़कर, सहायक-चिकित्सालय शोध केन्द्र अर्द्धशासकीय कार्यालय, मुर्गीपालन घरेलू उद्योग स्थानीय दुकानें आटा चक्की होटल, पेट्रोलियम, हल्के वाहनों के रिपेयर्स से संबंधित दुकानें ।
वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं व्यावसायिक कार्यालय सेवा उपयोग जैसे नाई-दर्जी ड्रायक्लीनर्स, मरम्मत की दुकानें, उपहार गृह मनोरंजन स्थान जैसे छवि-गृह [illegible] मण्डी माल गोदाम, मौसम आधारित गृह व्यावसायिक स्थापनायें	पेट्रोल पम्प, सेवा केन्द्र, स्टेशनरी कोयला इमारती लकड़ी प्रांगण चुंगी गृह मुक्त परिक्षेत्र, बहु-मंजिली भवनों के कक्षों में स्थित कारखाने सेवा उद्योग जो बाधा उपस्थित न करें । छोटी [illegible] [illegible] उद्योग ।

XEROX TRUE COPY
NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG (C.G.) Regd.No. [illegible] Exp.Dt.17-11-[illegible] GOVT OF INDIA
RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)
12 FEB 2025

/1/	/2/	/3/
औद्योगिक	(अ) सामान्य उद्योग जैसे भारी मध्यम एवं हल्के उद्योग।	पेट्रोल पम्प परिवहन ... कूड़ा कर्कट स्थान शो रूम।
औद्योगिक	(अ) जैसे बाल व तेल मिल, दूध के डिब्बे में भरना दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना आदि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशाला सेवा केन्द्र सार्वजनिक एवं सेवा केन्द्र भवन।	दुकानें उपहार गृह गोदाम माल गोदाम और अग्रेषण एजेन्सी।
	(ब) हानिकारक उद्योग जैसे रासायनिक उद्योग चमड़े का उद्योग, हड्डी की मिल, मद्य निर्माण शाला बहिस्राव शुद्धिकरण संयंत्र एवं अन्य सेवायें	हानिकारक उद्योगों से मिले जुलते अत्यावश्यक कर्मचारी हेतु आवासीय।
औद्योगिक	(स) विकर्षी उद्योग जैसे चुना भट्टी, मुरम निकालना खदान से पत्थर निकालना उपरोक्त उद्योगों से संबंधित मजदूरों हेतु आवासीय स्थान	सेवा, कर्मशाला, गोदाम एवं माल गोदाम
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	केन्द्रीय राज्य शासन कार्यालय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य सेवायें धार्मिक सांस्कृतिक संस्थायें पुस्तकालय, विचित्रालय, कला प्रदर्शन कक्ष शिक्षा संस्थायें जैसे विश्व विद्यालय, महा विद्यालय विद्यालय विविध शिल्पकला मंदिर।	पेट्रोल पम्प विराम स्थल दुकानें उपहार गृह आवास गृह।
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	(स) तकनीकी संस्थाये शोध शालाये आदि साधारण और विशिष्ट चिकित्सालय चिकित्सा प्रयोग शालायें [illegible]	

/1/	/2/	/3/
आमोद-प्रमोद	समस्त आमोद-प्रमोद स्थल जैसे उदयान, क्रीडा स्थल, क्रीडांगण, तरणताल, एवं मनोरंजन हेतु नियत क्षेत्र जिसमें मेला स्थल एवं प्रदर्शनी स्थल भी सम्मिलित है ।	पेट्रोल पम्प उपहार गृह भोजनालय गोदाम [illegible] मनोरंजन से संबंधित प्रासंगिक स्थान
परिवहन	रेलवे स्टेशन, माल प्रांगण, सभागार प्रांगण नगरीय बस यात्रा आरंभ समाप्ति केन्द्र बस आगार कर्मशाला ट्रक स्टैण्ड ट्रक यात्रा समाप्ति केन्द्र सड़क मार्ग से आने वाले माल हेतु गोदाम हवाई अड्डा एवं हवाई पट्टी	अग्रेषण ऐजेन्सी, माल गोदाम शीतगृह पेट्रोल पंप एवं सवारी केन्द्र मरम्मत की दुकाने उपकरणों की दुकानें उपहार गृह होटल भोजनालय ।
कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कृषि की परिभाषा में मध्यप्रदेश तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत आते है ।	कब्रिस्तान, श्मशानघाट भूमि मल शोधन केन्द्र [illegible] स्थान ईंट भट्टे एवं कुम्हारी कार्य पत्थर तोडने का कार्य खदान एवं अन्य खनन कार्य माल गोदाम एवं गोदाम

Assistant Director
Town & Country Planning
Durg (M.P.)

स्पष्टीकरण टीप:- आवासीय क्षेत्र में होटल हेतु अनुज्ञा तभी दी जावेगी जबकि इस संबंध में मानचित्र प्राधिकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत या अधिकृत हो । पेट्रोल पम्प सेवा केन्द्र संगठित बाजार केन्द्र सिनमा आदि भी आवासीय क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे । बशर्ते कि वे विस्तृत परिक्षेत्रिक योजना के अनुरूप स्वीकृत हो । भूमि का वर्तमान उपयोग हेतु उसी सीमा तक परिवर्तित किया जावे जो कि आसपास के क्षेत्रों में अनुकूल हो । भविष्य में होनेवाला विकास अनिवा अनिवार्य रूप से निर्धारित भूमि उपयोग के अनुरूप ही होगा ।

सामान्य अभिशंसायें:- यह अभिशंसा की जाती है कि समस्त शासकीय भूमि जो नगर में यत्र-तत्र बिखरे हुये रूप में स्थित है [illegible] की किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे न देते हुये उनका [illegible] प्राधिकरण विकास प्राधिकरण को बेहतर उपयोग हेतु सौंप देना [illegible] इस प्रक्रिया से इन [illegible] स्थानों के उचित एवं नियोजित [illegible] मिलेगी । इससे विभिन्न निजी स्वार्थी व्यक्तियों [illegible]

XEROX TRUE COPY

NOTARY RISHIKANT TIWARI DURG GOVT OF INDIA

RISHIKANT TIWARI
ADVOCATE / NOTARY
DURG (C.G.)

12 FEB 2025

मिलेगी। इससे विभिन्न निजी स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने में मदद मिलने के साथ प्राधिकरण को आर्थिक आधार भी प्राप्त हो सकेगा।

किसी भी प्रकार के विकास हेतु सशर्त अनुमति लेना निषेध है अन्य उपाय निम्नानुसार हैः-

1. निर्धारित भूमि उपयोग में से असंगतता होने की स्थिति को छोड़कर भूमि के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. भावी विकास निर्धारित उपयोग के अनुरूप होगा।
3. निवेश इकाई हेतु परिक्षेत्रिक योजना के प्रावधानों के अनुसार आवासीय परिक्षेत्रों में वृत्त खंड स्तरीय एवं उच्च स्तरीय बाजार क्षेत्र प्रस्तावित किये जावेंगे।
4. जो भूमि आमोद-प्रमोद हेतु अथवा खुली भूमि के रूप में प्रस्तावित की गई है। उस पर कृषि, फल-फूल उद्यान यथावत रहने दिये जावेंगे। जब तक कि उस भूमि के लिये विशेष परियोजना नहीं बनाई जाती है। तथा ऐसी भूमि का विशिष्ट आमोद-प्रमोद के लिये भू-अर्जन तथा विकास का कार्यान्वयन नहीं हो जाता।

9.4.3 विकास हेतु अनुमतिः- अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत विकास की अनुमति हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना होगाः-

1. भूमि का विवरण। स्थिति मय मार्गों के नाम तथा सीमायें।
2. खसरा मानचित्र (परिमाण 1=3600) जिसमें संबंधित क्षेत्र के खसरा नम्बर तथा क्षेत्र के बाह्य सीमा से 2000 मीटर तक के भूमि क्षेत्र के खसरा नम्बर भी दर्शायें जाना चाहिये।
3. स्थल मानचित्र जिसमें भूमि का मानचित्र भी हो परिमाण 1=1000 में संलग्न होना चाहिये। इस मानचित्र में पहुँच मार्ग तथा उस भूमि के आसपास स्थित चिकित्सालय पाठशाला छविगृह जैसे महत्वपूर्ण भवनों की स्थिति दर्शाकर आसपास की भूमि का उपयोग दर्शाना चाहिये।
4. सर्वे मानचित्र 1=1000 के परिमाण में होना चाहिये।